



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2610-औसं-17/पाकालि/2022-11(4)एफ/86(वो0-3)

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

विषय :- लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 01.07.2022 से अग्रेतर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश संख्या-2335-औ0सं0-17/पाकालि/2020-11(4)एफ/86 (वो0-111) दिनांक 27.08.2020 में निहित व्यवस्था/प्राविधानानुसार विभागीय सेवकों/सेवानिवृत्त कर्मिकों एवं पारिवारिक पेंशनरों व उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0-2735-औ0सं0-17/पाकालि/2021 दिनांक 15.09.2021 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-215-औ0सं0-17/पाकालि/2022 दिनांक 24.01.2022 द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता अवधि दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

- बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु केवल औषधियों/दवाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। रक्त व अन्य परीक्षण/जॉच में हुए व्यय, तथा भोजन/न्यूट्रीशन्स वैल्यू बढ़ाने सम्बन्धी दवायें/टॉनिक तथा साफ सफाई सेनीटेशन आदि से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- बाह्य रोगी के रूप में किसी भी चिकित्सालय में करायी गयी कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी की चिकित्सा विधि एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाओं आदि पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी। सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की प्रतिपूर्ति तथा डायलिसिस के व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती आदेशों के अन्तर्गत यथावत् अनुमन्य होगी।
- निम्नांकित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या-3330-औसं/2018 दिनांक 8.08.2018 द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0-2014 की मानक दरें ही अनुमन्य की जायेंगी :-

निजी चिकित्सालयों की सूची

क्रम सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
लखनऊ 1	विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राम कृष्ण मिशन सेवाश्रम विवेकानन्दपुरम्, लखनऊ।	30.06.2023
2	फातिमा हास्पिटल महानगर, लखनऊ।	30.06.2023
3	सेन्ट जोसेफ हास्पिटल गोमती नगर, लखनऊ।	30.06.2023
4	सेन्ट मैरी पॉलीक्लीनिक, गुडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ।	30.06.2023
5	नूर मंजिल साइक्याट्रिक सेण्टर, लालबाग, लखनऊ।	30.06.2023
6	अवध हास्पिटल, सिंगारनगर, कानपुर रोड आलमबाग, लखनऊ।	30.06.2023
7	शेखर हास्पिटल, चर्च रोड इन्दिरानगर, सी-ब्लॉक, लखनऊ।	30.06.2023
8	प्रकाश नेत्र केन्द्र, गोमतीनगर, लखनऊ।	30.06.2023
9	लखनऊ कैंसर इन्स्टीट्यूट, जियामऊ, लखनऊ।	30.06.2023
10	चन्द्रा मदर एण्ड आई केयर, 4/43, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	30.06.2023

Revised

11	अजन्ता हॉस्पिटल एण्ड आईवीएफ0 सेक्टर प्राइवेट लिमिटेड, 765 ए0बी0सी0 काम्प्लेक्स, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	30.06.2023
12	ओ0पी0 चौधरी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेक्टर, चौधरी बिहार, रायबरेली रोड, लखनऊ	30.06.2023
13	एस0सी0 त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए-1/7, सेक्टर-एच, निकट केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।	30.06.2023
14	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेक्टर, बी-55 एण्ड सी-42, मन्दिर मार्ग, महानगर, लखनऊ।	30.06.2023
15	डिवाइन हार्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेक्टर, विराज खण्ड-गोमती नगर, लखनऊ।	30.06.2023
16	स्कार्ट ई0एन0टी0 हॉस्पिटल, महानगर, लखनऊ।	30.06.2023
17	फोर्ड (नोवा) हॉस्पिटल, विकास खण्ड-1, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।	30.06.2023
18	चन्दन हॉस्पिटल, फैजाबाद रोड, निकट चिन्हट फ्लाईओवर विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	30.06.2023
नोयडा 19	मैट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-11 व 12, नोएडा।	30.06.2023
20	कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेक्टर, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा।	30.06.2023
21	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एण्ड ट्रामा सेक्टर, प्लॉट नं0-एन0एच0-32, एच0ओ0-1, सेक्टर- ओमेगा-1 ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्धनगर)	30.06.2023
22	यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-110 नोएडा, (गौतमबुद्धनगर)।	30.06.2023
गाजियाबाद 23	यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेक्टर, प्लॉट एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद।	30.06.2023
24	नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेक्टर, गाजियाबाद।	30.06.2023
मेरठ 25	जसवन्त राय स्पेशियलिटी हास्पिटल, मवाना रोड मेरठ।	30.06.2023
26	सेण्ट ल्यूक्स हास्पिटल, साकेत, मेरठ।	30.06.2023
27	लोकप्रिय हास्पिटल सम्राट पैलेस, गढ़ रोड मेरठ।	30.06.2023
28	धनवन्तरि जीवन रेखा हास्पिटल, 1-साकेत, मेरठ।	30.06.2023
29	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेक्टर, 47/जी-5 बाउन्ड्री रोड लालकुर्ती, मेरठ।	30.06.2023
प्रयागराज 30	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल एवं रीजनल कैंसर सेक्टर, इलाहाबाद।	30.06.2023
31	नाजरथ हास्पिटल, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।	30.06.2023
32	प्राची हॉस्पिटल, सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद।	30.06.2023
33	जीवन ज्योति हॉस्पिटल, फाफामऊ, इलाहाबाद।	30.06.2023
गोरखपुर 34	गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखपुर।	30.06.2023
वाराणसी 35	हेरिटेज हास्पिटल, लंका, वाराणसी।	30.06.2023
36	काशी हॉस्पिटल, भिखारीपुर, हाइडिल गेट, डी0एल0डब्लू, चुनार रोड, वाराणसी।	30.06.2023
37	बी0के0 हार्ट इन्स्टीट्यूट प्रा0लि0, नेवादा डी0एल0डब्लू0 रोड, वाराणसी।	30.06.2023

मथुरा 38	नयति मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सांवरिया गैस स्टेशन के पीछे, नेशनल हाईवे-2, आगरा बाई पास रोड, मथुरा।	30.06.2023
आगरा 39	आईआईएमटीआई हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गणेशनगर, लॉयर्स कालोनी, बाईपास रोड, आगरा।	30.06.2023
झांसी 40	हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल, सिविल लाइन्स, झांसी।	30.06.2023
मुरादाबाद 41	विवेकानन्द हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कांठ रोड मुरादाबाद।	30.06.2023
बरेली 42	क्लैरा स्क्वेन मिशन हॉस्पिटल, बरेली।	30.06.2023
43	धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली।	30.06.2023
कानपुर 44	चौदनी हॉस्पिटल, आर्यनगर, कानपुर।	30.06.2023
45	डा० जवाहर लाल रोहतगी स्मारक नेत्र एवं एसोसिएटेड रोहतगी हॉस्पिटल, सर्वोदय नगर, कानपुर।	30.06.2023
प्रदेश के बाहर वाह्य रोगी के रूप में उपचार कराने हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची		
गुड़गाँव (हरियाणा) 46	मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-38 गुड़गाँव हरियाणा।	30.06.2023
दिल्ली 47	ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली।	30.06.2023
48	फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, लि०, ओखला रोड नई दिल्ली	30.06.2023
49	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली।	30.06.2023
50	सरगंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली।	30.06.2023
मुम्बई 51	टाटा मैमोरियल हॉस्पिटल, डा० ई बोरगेस रोड, परेल, मुम्बई।	30.06.2023
चेन्नई 52	शंकर नेत्रालय, चेन्नई।	30.06.2023
53	अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई।	30.06.2023

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-2610 (1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औसत)/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/वित्त/कारपोरेट टैक्स) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-
✓ **Medical/E-Book** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. कट फाइल।

आज्ञा से,

Pranesh

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औसत)

Pranesh